समाहरणालय, मधुबनी।
(जिला योजना कार्यालय)
–: अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना :–

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत श्री कपिलदेब कामत, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग–सह–स0वि0स0, बाबूबरही एवं श्रीमती भवना झा, माननीय स0वि0स0, बेनीपट्टी के द्वारा सरकारी मध्य/उच्च विद्यालयों के लिए बेंच–डेस्क के कय कर आपूर्त्ति हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक : **10.12.2018** को अपराह्न **01:00 बजे** तक इच्छुक प्रतिष्ठित निबंधित निर्माता/प्रतिष्ठानों एवं अधिकृत विक्रेताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं से मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमन्त्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को दिनांक : **10.12.2018** को **अपराह्न 02:00** बजे जिला कय समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है। शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यालयों में कय किये जानेवाले बेंच–डेस्क की विशिष्टियॉ निर्धारित है। आपूर्त्ति की जानेवाली बेंच–डेस्क का साईज एवं निर्धारित स्पेशिफिकेशन योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना का **पत्रांक : 3901/यो0वि0, पटना, दिनांक : 01.08.2016** में अंकित है। विद्यालयों की सूची जिला योजना कार्यालय, मधुबनी से किसी भी कार्य दिवस को निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक : **08.12.2018** को अपराहन 05:00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जा सकता है तथा PRD and Madhubani जिला के बेवसाईट पर भी देखा/डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा जिला योजना कार्यालय, मधुबनी के कार्यालय में जमा किया जायेगा।

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें :–

1. तकनीकी निविदा में 30,000/– (तीस हजार) रूपये मात्र का किसी भी बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से देय एवं मधुबनी में भुगतेय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. तकनीकी संबंधी लिफाफा में निविदादाता को स्वअभिप्रमाणित DIC/MSME के अधीन निबंधन प्रमाण पत्र या किसी सरकारी संस्था से दुकान एवं प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं विवरणी (Return) अद्यतन संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता का Turn over मो0 50,00,000.00 (पचास लाख) रूपये का होना चाहिए है।
6. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी पब्लिक से सत्यापित शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य है।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें –

8. वित्तीय निविदा में बेंच–डेस्क स्पेशिफिकेशन एवं प्रति इकाई दर सभी कर सहित देना अनिवार्य होगा।

(ग) सामान्य शर्तें –

9. जिला योजना कार्यालय, मधुबनी में मुहरबंद निविदाएँ निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किया जाएगा।
10. निविदा दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में होगी। एक पर तकनीकी निविदा अंकित लिफाफ एवं दूसरे पर वित्तीय निविदा अंकित लिफाफ अवश्य होना चाहिए। दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर मुहरबंद कर जमा करना होगा।
11. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
12. स्वीकृत आपूर्तिकर्त्ता को विपत्रों पर नियमानुसार श्रोत पर निर्धारित कर कटौती के बाद ही विपत्र का भुगतान किया जाएगा।
13. बेंच–डेस्क आपूर्ति के पश्चात संबंधित उच्च विद्यालयों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र/गुणवत्ता के जॉचोंपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
14. बेंच–डेस्क की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।

15. कार्यादेश के अनुरूप बेंच–डेस्क की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा के अंदर चिन्हित उच्च विद्यालयों में करना होगा, जिसका उक्त स्थल तक का भाड़ा आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा देय होगी। अन्यथा संबंधित फर्म की अग्रधन की राशि जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
16. बेंच–डेस्क पर मद का नाम, माननीय का नाम, वर्ष तथा विद्यालय का नाम निश्चित रूप से अंकित होना चाहिए ।
17. एकरारनामा के साथ Performance Security Deposit (एकरारनामा की राशि का 05 प्रतिशत) बैंक गारंटी/NSC जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से प्लेज किया हुआ जमा करना होगा। जिसकी बैधता 180 दिनों (छः माह) की अवधि तक रहनी चाहिए। Security Money की वापसी कार्य समाप्ति के पश्चात की जायेगी।
18. विवाद की स्थिति में न्यायलय, मधुबनी का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
19. बिना कारण बताए निविदा को स्वीकृत/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
20. किसी विवाद के स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

(घ) अन्य शर्तें –

1. बेंच–डेस्क की आपूर्ति के कय में बेंच–डेस्क के परिवहन में हुई किसी प्रकार की क्षति के लिए दावा मान्य नहीं होगा।

(ड़) बेंच–डेस्क की विशिष्यिाँ निम्न है।

क0	उपस्कर का नाम एवं प्रकार	आकार	विशिष्टतायें
1	**2**	**3**	**4**
(क)	'शीशम की लकड़ी का फ्रेम एवं आम की लकड़ी का पटरा **बेंच** – (शीशम की लकड़ी का फ्रेम एवं आम की लकड़ी का पटरा)	60 इंच X 18 इंच X 10 इंच	(i) पौवा – 18 इंच X 2 इंच X 2 इंच – चार (ii) पाशी – 60 इंच X 3 इंच X 1 इंच – दो (iii) साईड पाशी – 07 इंच X 3 इंच X 1 इंच – तीन (iv) गज – 07 इंच X 1.5 इंच X 1 इंच – दो (v) पटरा–आम – 60 इंच X 10 इंच X 1 इंच – एक
	डेस्क – (शीशम की लकड़ी का फ्रेम एवं आम की लकड़ी का पटरा)	60 इंच X 30 इंच X 14 इंच	(i) पौवा – 30 इंच X 2 इंच X 2 इंच – चार (ii) पाशी – 60 इंच X 3 इंच X 1 इंच – दो (iii) साईड पाशी – 10 इंच X 4 इंच X 1 इंच – तीन (iv) गज – 12 इंच X 1.5 इंच X 1 इंच – दो (v) पटरा–आम – 60 इंच X 10 इंच X 1 इंच – एक (vi) पटरा–आम – 60 इंच X 4 इंच X 1 इंच – एक
(ख)	लोहे का फ्रेम चौकोर 16 गेंज सवा इंच एवं आम की लकड़ी का पटरा **बेंच** – (लोहे का फ्रेम चौकोर 16 गेंज सवा इंच एवं आम की लकड़ी का पटरा	60 इंच X 18 इंच X 10 इंच	(i) पौवा – 18 इंच X सवा इंच X सवा इंच – चार (ii) लेग सहित पाशी – 60 इंच X सवा इंच X सवा इंच – तीन (iii) साईड पाशी – 07 इंच X सवा इंच X सवा इंच – तीन (iv) पटरा–आम – 60 इंच X 10 इंच X 1 इंच – एक
	डेस्क – (लोहे का फ्रेम चौकोर 16 गेंज सवा इंच एवं आम की लकड़ी का पटरा	60 इंच X 30 इंच X 10 इंच	(i) पौवा – 30 इंच X सवा इंच X सवा इंच – चार (ii) लेग सहित पाशी – 60 इंच X सवा इंच X सवा इंच –तीन (iii) साईड पाशी – 10 इंच X सवा इंच X सवा इंच – पॉच (iv) पटरा–आम – 60 इंच X 10 इंच X 1 इंच – एक (v) पटरा–आम – 60 इंच X 4 इंच X 1 इंच – एक

23/11/18

उप विकास आयुक्त,
मधुबनी।